

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/09/3274

भोपाल, दिनांक 27/10/2009

:: आदेश ::

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षकों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीता शर्मा, सहायक शिक्षिका	AO 4414	शा.क.प्रा.शा.नर्मदा नगर वि.खं.पुनासा जिला खंडवा	23290911802	सागर
2	श्री रामलाल शर्मा, सहा.शि. (विज्ञान)	BC 8335	शा.उ.मा.वि.सरई जिला सिंगरौली	23290911802	रीवा

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के पात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर...2...


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/09/3875

भोपाल,दिनांक 27/10/2009

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 2713/मं./स्कू.शि./उ.शि./तक.शि./09 दि 11.09.09 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला- खंडवा, सागर, सिंगरौली एवं रीवा म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- खंडवा, सागर, सिंगरौली एवं रीवा म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- इंदौर, सागर एवं रीवा मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, खंडवा, सागर, सिंगरौली एवं रीवा म.प्र.।  
की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश